रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 अप्रैल, 1981

चैत्र 24, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 945/सत्रह–वि–1—11-81

लखनऊ, 14 अप्रैल, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200/201 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में,--

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(1-क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं या सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एक नामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।";

(ख) उपधारा (6) में अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दया जायगा, अर्थात्:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि (मूल आदेश में निर्धारित अवधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।"

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 945(2)/XVII-V-1—11-81

Dated Lucknow, April 14, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidalya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 1981 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWA-VIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIUAM, 1981

[U. P. Act no. 8 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, **1958.**

It is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981.

Amendment of section 11 of U.P. Act no. 45 of 1958.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958,—

(a) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Where the Kuladhipati (Chancellor) does not consider any one or more of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Kulpati (Vice-Chancellor) or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Kuladhipati (Chancellor) is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a panel of fresh names in accordance with sub-section (1)."

(b) in sub-section (6), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :—

"Provided that the Chancellor (Kuladhipati) may from time to time extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor (Kulpati) under this sub-section, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year."

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 8 सा०(विधा०)--14-4-81--(157)--1981--700 (मेक०)।